International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-5746
Impact Factor: RJIF 5.34
www.alleducationjournal.com
Volume 3; Issue 6; November 2018; Page No. 42-45

अशिक्षित और निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के प्रेरक कारकों तथा शैक्षिक अभिरुचि का अन्तः सम्बन्ध

ओमपाल सिंह[1], डॉ० हेमेन्द्र सिंह[2]
[1] समाजशास्त्र विभाग, के॰जी॰के॰ महाविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।
[2] म०ज्यो० फु० रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
दबाव समूह की उपस्थिति प्रत्येक स्थान की विशेषता है और इन के स्वरूपों में भिन्नताएँ होती हैं। ये दबाव समूह सदैव निम्नतर समूह अथवा निम्नतर समूह के सदस्यों पर अपने हितों को साधने के उद्देश्य से दबाव प्रभावी करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च आयुवर्गीय दबाव सामाजिक दृष्टिकोण से प्रायः मान्य है। परन्तु, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप और दबाव शैक्षिक अभिरुचि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शैक्षिक अभिरुचि मुख्य रूप से विद्यार्थी और शिक्षक से सम्बन्धित तत्त्व है। शैक्षिक अभिरुचि ही वह प्रेरक तत्त्व है; जिस के कारण, एक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होता है। यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रयासरत होता भी है तो अधिकारों के उल्लंघन की समस्या के कारण उस की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो जाती है।

मूल शब्द: दबाव समूह, शैक्षिक अभिरुचि, उच्च शिक्षित परिवार, अशिक्षित परिवार, उच्च आयुवर्गीय परिवार, शैक्षिक अहम

1. प्रस्तावना
विद्यालय निवास स्थल से पृथक शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने का वह शान्त स्थल होता है जहाँ स्वतन्त्र रूप से और सुचारू रूप से पठन-पाठन के 'कर्तव्य' को पूर्ण किया जाता है। परन्तु, अनेक बार यह अवलोकित किया जाता है कि विद्यार्थी विद्यालय में पूर्ण मनोयोग से पठन-कार्य नहीं कर पा रहे हैं और विद्यार्थी उस वांछित शैक्षिक स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिस की आशा की जाती है। कुछ सामाजिक स्थितियाँ विद्यार्थियों में शिक्षा और शैक्षिक अभिरुचि को कम कर रही हैं और इन सामाजिक स्थितियों में सब से अधिक बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की समस्या है। जब विद्यार्थियों और उन के अविभावकों की शिक्षा और आयु सम्बन्धी स्थितियों के कारण उल्लंघन प्रभावी होता है, तब उन की शैक्षिक अभिरुचि में कमी होने की सम्भावना उत्पन्न होती है।

2. शोध समस्या
शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने का कार्य शान्त मनःस्थिति, धैर्य और परिस्थितियों पर निर्भर होता है। परन्तु, वर्तमान समाज में व्यक्ति की मनःस्थिति, धैर्य और परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के कारण परिवर्तन का अनुभव किया जा रहा है, जिस के कारण शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने का कार्य अपेक्षित रूप से क्रियान्वित नहीं हो रहा है।

3. शोध की आवश्यकता और महत्व
बच्चे देश का भविष्य हैं और यही बौद्धिक सम्पदा के रूप में स्थापित हो कर देश का नाम वैश्विक पटल पर स्थापित करते हैं। परन्तु, प्रायः यह पाया जाता है कि विद्यालय और समाज में उच्च शिक्षित परिवारों और उच्च आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों की तुलना में निम्न शिक्षित, अशिक्षित अथवा निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ अधिक होती हैं। इस से निम्न शिक्षित, अशिक्षित अथवा निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों और उन के अविभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न होने की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है। यदि बच्चों के प्रति प्रत्येक स्तर पर समान भाव रखा जाए, तब उन में शिक्षा और शैक्षिक अभिरुचि में वृद्धि होने की सम्भावना उत्पन्न होगी। अतः, देशहित में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं ज्ञात कर के उन का निराकरण करना अत्यावश्यक है।

4. शोध उद्देश्य
प्रस्तुत अनुसन्धान का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि
4.1 निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के क्या कारण हैं।
4.2 निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के क्या कारण हैं।

5. शोध परिकल्पनाएँ
प्रस्तुत अनुसंधान हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है -
5.1. 'उच्च शिक्षित' परिवारों के बच्चों की तुलना में 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन अधिक होता है।
5.2. उच्च आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों की तुलना में निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन अधिक होता है।

6. शोध प्रविधि
प्रस्तुत अनुसंधान वर्णनात्मक है और साक्षात्कार विधि पर आधारित है। इस अनुसंधान हेतु लाइनपार मुरादाबाद शास्त्रीनगर, लक्ष्मणपुरी और फकीरपुरा के 500 के समग्र में से 200 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार किया गया है।
अवलोकन के आधार पर निम्न शिक्षित व्यक्ति वे हैं, जिन्होंने

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है तथा इस से उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 'उच्च शिक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस ही प्रकार, 22 से 30 वर्ष के व्यक्तियों को निम्न आयु वर्ग में वर्गीकृत किया गया है तथा 50 वर्ष और उस से अधिक वयस के व्यक्तियों को उच्च आयु वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

यह अनुसंधान वृहद् अनुसंधान 'शिक्षा को बाधित करने वाले कारकों का समाजशास्त्रीय अध्ययन : मुरादाबाद महानगर के विशेष सन्दर्भ में' का एक भाग है।

7. साहित्य समीक्षा

राजनैतिक परिदृश्य को स्पष्ट करते हुए 'ई-ज्ञानकोश' ने अपने अध्याय 'दबाव समूह' (इकाई-21) में लिखा है कि दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और इन्हें हित समूह भी कहा जाता है। इस ही प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के अन्तिम अध्याय 'राजनीतिक दल' (अध्याय 6) के पृष्ठ 72 के अनुसार - 'सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है' तथा पृष्ठ 74 के अनुसार - 'समाज के विभिन्न वर्गों में उन के मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते रहते हैं।

परन्तु; प्रस्तुत अनुसंधान के लिये किये गए अवलोकन और साक्षात्कार से स्पष्ट होता है कि समाज में ऐसे भी दबाव समूह हैं जो 'इकाई' के रूप में भी 'दबाव समूह' के रूप में अपनी स्वार्थसिद्धि में प्रायः सफल हो जाते हैं; यथा 'एक उच्च शिक्षित व्यक्ति' अथवा 'एक उच्च आयुवर्गीय व्यक्ति'।

8. बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन और शैक्षिक अभिरुचि में अन्तःसम्बन्ध

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित जिन विधियों (क़ानूनों) को भारत में स्वीकार किया गया है उस के अन्तर्गत निर्धारित मानकों और अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार उन समस्त व्यक्तियों को है, जिन की वयस 18 वर्ष से कम है।

'संयुक्त राष्ट्र संयोजन' के अनुसार - बाल अधिकार बच्चों के हित, भेदभावरहित जीवन और उन के विचारों के सम्मान के सिद्धान्त पर आधारित होने चाहिये। 'संयुक्त राष्ट्र संयोजन' परिवार के महत्व और ऐसे परिवेश के निर्माण पर बल देता है, जो, बच्चों के उत्तम विकास और उन्नति में सहायक हो। इस में सरकार को यह दायित्व प्रदत्त है कि वह बच्चों के प्रति समाज में स्वच्छ और समान व्यवहार को सुनिश्चित करे; जो, नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्थ्यों पर आधारित हों। ये सिद्धान्त चार प्रकार से वर्गीकृत हैं - (क) *जीने का अधिकार* :- जीने के अधिकार के अन्तर्गत जीवन अधिकार, स्वास्थ्य के आवश्यक उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का अधिकार, पौषण का अधिकार, समुचित जीवनस्तर प्राप्त करने का अधिकार, नाम और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार (ख) *सुरक्षा का अधिकार* :- सुरक्षा के अधिकार में समस्त प्रकार की स्वतन्त्रताएँ सम्मिलित हैं; यथा, शोषण से सुरक्षा का अधिकार, अपमान और दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, अमानवीय अथवा निम्न कोटि के व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, उपेक्षा से मुक्ति का अधिकार, आपातकाल और सशस्त्र संघर्ष जैसी परिस्थितियों में विकलांग आदि को विशेष सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा का अधिकार (ग) *विकास का अधिकार* :- विकास के अधिकारों में सम्मिलित हैं - शिक्षा का अधिकार, प्रारम्भिक बाल्यावस्था में देखभाल और विकास हेतु सहायता प्राप्ति का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, अवकाश, मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का अधिकार (घ) *सहभागिता का अधिकार* :- सहभागिता के अधिकारों के अन्तर्गत बच्चों को स्वयम के विचारों के लिये सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार, उपयुक्त सूचना प्राप्त करने का अधिकार, विचार अथवा चेतना और धर्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार।

परन्तु, प्राथमिक तत्थ्यों को प्राप्त करने के लिये किये गए अवलोकन में पाया गया है कि 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्यों के 'शैक्षिक अहम्', स्थानीय प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सजगता और ज्ञातव्यों के आधार पर 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के उक्त वर्णित अधिकारों में से अनेक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस ही प्रकार, उच्च आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों की तुलना में सामाजिक प्रभाव की अधिकता और पारीवारिक सदस्यों की अधिकता के प्रभाव से निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन की समस्या के कारण 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' और निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो रही है। जब कि, शैक्षिक अधिकारों के अनुल्लंघन और उन के पालन से बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में वृद्धि होती है।

9. तत्थ्यों का विश्लेषण और व्याख्या

साक्षात्कार विधि से प्राप्त तत्थ्य निम्नलिखित हैं -

9.1 'उच्च शिक्षित' परिवारों के कारण 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के प्रेरक कारक :-

अशिक्षित/निम्न शिक्षित व्यक्ति	उच्च शिक्षित व्यक्ति
अशिक्षित निम्न शिक्षित व्यक्ति - उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा	स्नातक और उस से अधिक स्तर की शिक्षा

शैक्षिक अहम्	स्थानीय प्रभाव	सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सजगता	ज्ञातव्य
126	150	135	190
63%	75%	67.5%	95%

9.1.1 शैक्षिक अहम् :- 200 उत्तरदाताओं में से 126 उत्तरदाताओं के मतानुसार 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्यों में स्तरीय 'शैक्षिक अहम्' की अधिकता पाई जाती है और उन के इस ही अहम् की तुष्टिकरण का प्रयास प्रत्येक स्थानीय स्तर पर किया जाता है। इस ही कारण, विद्यालययी कार्यों में भी उन के इस अहम् की तुष्टि करने का प्रयास सफल होता है और समुदाय के 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के हेतु शासन अथवा प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अधिकांश उन के बच्चों को प्राप्त नहीं होता है तथा 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्य इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। दाण्डिक विषयों में भी 'उच्च शिक्षित' परिवारों के विद्यार्थियों को प्रायः 'अनदेखा' कर दिया जाता है। अतः, उन के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में कमी होती है; परिणामस्वरूप, 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है। *शैक्षणिक स्तर के अनुसार व्यक्ति निम्नतर अथवा श्रेष्ठ होने का भाव अनुभव करता है और जिस स्तर का शैक्षणिक अन्तर होता है, उस ही स्तर के अनुसार व्यक्ति के मनस् में हीनता अथवा श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न होता है।*

9.1.2 स्थानीय प्रभावः 200 उत्तरदाताओं में से 150 उत्तरदाताओं के मतानुसार 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्यों का समुदाय में स्थानीय प्रभाव अधिक होता है, जिस के कारण, ऐसे परिवारों के विद्यार्थियों का विद्यालय में नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी विशेष ध्यान रखते हैं। जब कि, 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों का ध्यान प्रायः नहीं रखते हैं। अतः, उन के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है।

9.1.3 सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सजगता :- 200 उत्तरदाताओं में से 135 उत्तरदाताओं के मतानुसार 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्यों में सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सजगता पाई जाती है। इस ही कारण, दाण्डिक विषयों में 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्य अपने बच्चों पर आक्षेप सहन नहीं करते हैं और सम्बन्धित आरोप को 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और ऐसे प्रयास अधिकांशतः सफल भी होते हैं। अतः, उन के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में कमी होती है; परिणामस्वरूप, 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है।

9.1.4 ज्ञातव्य (जानकारियाँ) :- 200 उत्तरदाताओं में से 190 उत्तरदाताओं के मतानुसार 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्य अधिकतम सूचनाओं से समृद्ध होते है और वे अपने बच्चों के प्रति अधिक सम्वेदनशील होते हैं। अतः, वे ऐसी नीति का पालन करते हैं, जिस से कि, उन के बच्चों का किसी भी प्रकार अहित न हो पाए। इस के विपरीत, 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के **सदस्य प्रायः** प्रभावी सूचनाओं से अनभिज्ञ होते हैं; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है।

9.2 उच्च आयुवर्गीय परिवारों के कारण निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के प्रेरक कारक :-

निम्न आयुवर्गीय व्यक्ति	उच्च आयुवर्गीय व्यक्ति
27 - 40 वर्षीय व्यक्ति	50 वर्ष अथवा उस से अधिक आयु का व्यक्ति

सामाजिक प्रभाव की अधिकता	सदस्यों की अधिकता का प्रभाव
140	165
70%	82.5%

9.2.1 सामाजिक प्रभाव की अधिकताः 200 उत्तरदाताओं में से 140 उत्तरदाताओं के मतानुसार भारतीय परिप्रेक्ष्य में उच्च आयुवर्ग के व्यक्ति का सम्मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में वृद्ध व्यक्ति के सम्मान को 'अनुभव' के आधार पर सब से अधिक महत्व दिया जाता है। इस ही कारण, किसी भी समस्या के विषय में वृद्ध व्यक्ति के मत को सम्मान देते हुए समस्या के समाधान का प्रयास प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। अतः, उन के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में कमी होती है; परिणामस्वरूप, निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है। आयु के अनुसार व्यक्ति निम्नतर अथवा श्रेष्ठ होने का भाव अनुभव करता है और जिस स्तर का आयु-अन्तर होता है, उस ही स्तर के अनुसार व्यक्ति के मनस् में हीनता अथवा श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न होता है तथा प्रायः उस ही के अनुसार व्यक्ति का सामाजिक प्रभाव पाया जाता है।

9.2.2 सदस्यों की अधिकता का प्रभाव :- 200 उत्तरदाताओं में से 165 उत्तरदाताओं के मतानुसार प्रायः पाया जाता है कि उच्च आयुवर्गीय व्यक्ति के संरक्षण में कम से कम तीन पीढ़ियों के पारीवारिक सदस्य होते हैं। इस प्रकार, ऐसे परिवारों में जन-बल होता है और प्रायः 'दबाव समूह' के रूप में कार्य करते हैं। अतः, ऐसे परिवार दबाव डाल कर अपने हितों और स्वार्थों की रक्षा करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार, उन के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में कमी होती है; परिणामस्वरूप, निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है।

10. निष्कर्ष

- उक्त शोध से स्पष्ट है कि

1. 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्यों में 'शैक्षिक अहम्' की अधिकता पाई जाती है जिस के परिणामस्वरूप, 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो रही है।
2. 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्यों का समुदाय में स्थानीय प्रभाव अधिक होता है; जिस के परिणामस्वरूप, 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो रही है।
3. 'उच्च शिक्षित' परिवारों के सदस्यों में सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सजगता के कारण, 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो रही है।
4. 'निम्न शिक्षित अथवा अशिक्षित' परिवारों के सदस्य प्रायः नवीनतम प्रभावी सूचनाओं से अनभिज्ञ होते हैं; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो रही है।
5. उच्च आयुवर्ग के व्यक्ति का सम्मान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और किसी भी समस्या के विषय में वृद्ध व्यक्ति के मत को सम्मान दिया जाता है; परिणामस्वरूप, निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो रही है।
6. उच्च आयुवर्गीय व्यक्ति के पास जन-बल होता है और वह जन-बल प्रायः 'दबाव समूह' के रूप में कार्य करता है; जिस के परिणामस्वरूप, निम्न आयुवर्गीय परिवारों के बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप, उन के बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि में कमी हो रही है।

11. सुझाव

बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें ही भविष्य में 'बौद्धिक सम्पदा' में परिणत हो कर देश के विकास में अपना योगदान करना है। इस हेतु शासनिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर उन के लिये दबावमुक्त परिवेश स्थापित करने की आवश्यकता है और ऐसे सामाजिक परिवेश को स्थापित करने की आवश्यकता है जिस में बच्चे अपने अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावनाओं से मुक्त हों।

12. सन्दर्भ

1. 'राजनीतिक दल', (अध्याय 6); राट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
2. 'दबाव समूह', इकाई - 21; ई - ज्ञानकोश
3. सिंह, ओमपाल; 'बौद्धिक सम्पदा और बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याएँ'; International Journal of Research - Granthaalayah, ISSN-2350-0530(O), ISSN-2394-3629(P), Volume 6; Issue 9; September 2018; Page No. 332-339